413

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 12 नवम्बर,1997 (कार्तिक 21,1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, जांच आयोग अधिनियम,1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार -

(1) ग्रेसिम(ग्वालियर) दुर्घटना जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 20 मार्च, 1997 द्वारा श्री डब्ल्यू.ए.शाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर, तथा

(2) डॉ. एस.डी.सिंह (मृत्यु के कारणों की) जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 1 जून, 1995 द्वारा श्री सरस्वती प्रसाद खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल,

शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. आई. एम. पी. वर्मा, श्री प्रेमनारायण शर्मा, सदस्य, शिवपुरी जिले के अनेक गांवों में फ्लोराईड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम नरईबोध में साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से मकानों को हो रही क्षति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, रायपुर जिले की खारून नदी पर अवैध रूप से बांध का निर्माण किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर जिले की जीवाजी शुगर मिल के कर्मचारियों को कई माह से वेतन न मिलने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री परसराम धुर्वे, सभापति, शासकीय आश्वासन संबंधी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम खजुरी में विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने,

(2) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम बरतरा के अनुसूचित जाति एवं आदिवासी मुहल्ले में विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने,

(3) श्री चिरोंजी लाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले के जन चिकित्सालय कुरवाई में महिला चिकित्सक पदस्थ किये जाने,

(4) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर नगर के -
(क) गोकलपुर वार्ड में पहुंच मार्ग बनाये जाने,
(ख) रांझी बस्ती में पेयजल टंकी बनाये जाने, तथा
(ग) रांझी बस्ती में 30 बिस्तरों वाला शासकीय चिकित्सालय खोले जाने, एवं

(5) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के कस्बा उदयपुरा में -
(क) विद्युत उपभोक्ता कार्यालय खोले जाने,
(ख) सड़कों का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ग) विद्युत मण्डल का उप-संभाग बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

-2-

निर्धारित समय

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में हीरे की उपलब्धता, आंकलन, उत्खनन एवं विक्रय के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश के अनेक जिलों में कोल माइन्स के उत्खनन कार्य से उत्पन्न समस्या के संबंध में श्री लल्लू सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. (3) प्रदेश में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 9 सितम्बर, 1996 तथा दिनांक 13 फरवरी, 1997 को सहकारिता मंत्री से पूछे गये क्रमशः परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 144 (क्रमांक 6957) तथा परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्रमांक 2534) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 7 नवम्बर, 1997 को स्थानीय शासन मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 488) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 11 नवम्बर, 1997